भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 198
उत्तर देने की तारीख - 6 दिसम्बर, 2013

निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा संवर्धित स्पेक्ट्रम उपयोग

198. श्रीमती गुन्डु सुधारानी :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग द्वारा उन क्षेत्रों में, जहां वोडाफोन ने कोई स्पेक्ट्रम नहीं खरीदा था वहां कंपनी द्वारा 3जी स्पेक्ट्रम के उपयोग पर संवर्धित स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क न लेकर वोडाफोन को 187 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को चुकता किए जाने वाले सभी करों और उगाही का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सदस्य, वित्त सहित दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की क्या भूमिका है; और

(ग) सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग के अधिकारयों के विरुद्ध और वोडाफोन से घाटे की भरपाई के लिए क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) जी, नहीं । दूरसंचार विभाग ने 3जी अन्तरा-सर्किल रोमिंग करार के सम्बन्ध में मैसर्स वोडाफोन से जुर्माने की उगाही करने के लिए मांग-पत्र जारी किया है, जिसे टीडीएसएटी में चुनौती दी गई है।

(ख एवं ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

*****